IS15700:2018

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
अधीक्षण अभियन्ता, अयोध्या वृत्त

ऑफिस काम्पलेक्स, प्रथम तल,
अंगूरीबाग योजना, अयोध्या–224001
(Email: upavp.ayodhya@gmail.com)

भारतीय मानकब्यूरो IS 15700

SQMS

पत्र संः / एम–10 / दिनांक

ई–निविदा सूचना

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से निम्नांकित कार्यो हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद में निर्धारित श्रेणी में पंजीकृत एवं अनुभवी ठेकेदारों/फर्मो से ई–निविदायें टू–बिड पद्धति से आमंत्रित की जाती है, जो उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थित में निम्नांकित विवरण के अनुसार खोली जायेगी। निविदा प्रकाशित होने के बाद http://etender.up.nic.in पर समस्त विवरण आनलाइन उपलब्ध रहेगा। तकनीकी बिड में सफल निविदादाताओं की वित्तीय बिड खोलने हेतु निर्धारित तिथि की सूचना परिषद वेबसाईट के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी। वित्तीय बिड का परिणाम भी http://etender.up.nic.in पर आन–लाइन उपलब्ध रहेगा।

क्र0 सं0	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	कार्य की अनुमानित लागत (रु0 लाख में)	धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	ई–निविदा का मूल्य/फीस	कार्य पूर्ण करने की अवधि	ठेकेदार/फर्म की श्रेणी	ई–निविदा प्रपत्र डाउनलोड प्रारम्भ तथा प्रपत्र अपलोड करने की अंन्तिम तिथि	तकनीकी बिड खुलने की तिथि व समय	खण्ड कार्यालय जहां निविदा खोली जायेगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	जनपद श्रावस्ती में राजकीय महाविद्यालय जमुनहा हरदत्तनगर गिरन्ट के भवन निर्माण कार्य के अन्तर्गत फर्नीचर आपूर्ति के कार्य।	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	74.00	1.48	3000.00+ 18%GST	02 माह	आपूर्तिकर्ता की फर्म का फर्नीचर मैन्यूफैक्चिरिंग यूनिट होना अनिवार्य है।	29.05..2023 (05:00 PM से) एवं 14.06. 2023 (03:00 PM) तक	14.06.2023 (03:30 PM)	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या–03 जनपद–गोण्डा
2	जनपद श्रावस्ती के गिलौला में बस स्टेशन गिलौला के अवशेष कार्य। (अनुबन्ध संख्या–04/ई0ई0/सी0 डी0 अयोध्या–3/2022–23 पर डेबीटेबल एजेन्सी)	बी0ओ0क्यू0 के अनुसार	23.00	0.46	1000.00+ 18%GST	04 माह	परिषद में पंजीकृत	29.05..2023 (05:00 PM से) एवं 14.06. 2023 (03:00 PM) तक	14.06.2023 (03:30 PM)	

धरोहर धनराशि एवं ई–निविदा प्रपत्र का मूल्य जमा करने हेतु खाते का विवरण

1–	खाता धारक का नाम	अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या–03,उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोण्डा।
2–	बैंक का नाम/शाखा	बैंक आफ बड़ौदा, शान्ती काम्पलेक्स, सरकुलर रोड, आवास विकास कालोनी, गोण्डा।
3–	बचत खाता संख्या–	12130100024040
4–	आई0ए0एफ0सी0 कोड	BARB0GONDAX
5–	परिषद का पैन नं0–	AAAJU0103A
6–	जी0एस0टी0 नं0	09AAAJU0103AFZF

ई–निविदा के सम्बन्ध में शर्ते–

1. निविदा से सम्बन्धित प्रपत्र का मूल्य व धरोहर धनराशि RTGS के माध्यम से सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के खाते में दिनांक 13.06.2023 को अपरान्ह 16.00 बजे तक जमा किये जाने होगें। यदि किसी ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है, तो भी निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर धनराशि (परिषद में) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ उपर्युक्त रुप में देय होगी। खाते का विवरण उपरोक्तानुसार है।
2. निर्धारित तिथि के बाद धरोहर धनराशि का भुगतान किया जाना मान्य नहीं होगा तथा निविदा/कोटेशन पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, तकनीकी बिड में सफल निविदाओं को अपलोड करने के उपरान्त सूचित किया जायेगा।

शर्तेः–

1. निविदा से सम्बन्धित प्रोसेसिंग फीस व धरोहर धनराशि अलग–अलग आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से उक्त विवरण के अनुसार निर्धारित बैंक खाते में जमा (Credit) होना आवश्यक है। नियत तिथि व समय तक खाते में उक्त वांछित धनराशि जमा (Credit) होने की पुष्टि न होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. निविदा से सम्बन्धित प्रोसेसिंग फीस एवं धरोहर धनराशि के मूल्य से संबधित आर0टी0जी0एस0 के यू0टी0आर0 नम्बर की छाया प्रति निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड भी किया जाना आवश्यक होगा। निविदा आमन्त्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र परिषद की वेबसाईट www.upavp.in अथवा http://etender.up.nic.in पर देखे जा सकते है। इच्छुक फर्मो/निविदादाताओं से अपेक्षा है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट देखते रहें क्योंकि इस निविदा के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा सूचना वेबसाईट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी। डिजिटल सिग्नेचर धारक फर्मो/निविदाताओं द्वारा ही आनलाइन निविदा डाली जा सकती है।

3. निविदादाताओं को निविदा स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध के पूर्व निविदा के अनुसार कार्य की कुल लागत का 10.00 प्रतिशत जमानत धनराशि/परफार्मेन्स सिक्योरिटी सम्बन्धित खण्ड कार्यालय के खाते में जमा करनी होगी।
4. निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करते समय दरों की वैधता 03 माह की रखने हेतु रु0 100.00 मूल्य के नान ज्यूडिसियल स्टैम्प पेपर जिस पर रु0 1.00 का रसीदी टिकट लगा हो देनी होगी एवं ई–टेण्डर में स्कैन कापी अपलोड करना होगा।
5. निविदा की स्वीकृति की दशा में अनुबन्ध गठन के समय रू0 100.00 के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध करने एवं रू0 10.00 के स्टाम्प पेपर पर इस आशय का निर्धारित प्रारूप पर शपथ पत्र देना होगा कि यदि स्टाम्प की अतिरिक्त देयता होगी तो फर्म/निविदादाता द्वारा अतिरिक्त मूल्य का स्टाम्प पेपर कार्यालय में जमा कर दिया जायेगा एवं इस पर होने वाला व्यय फर्म/निविदादाता द्वारा स्वंय वहन किया जायेगा।
6. यदि किसी कारणवश निविदा सूचना में उल्लिखित तिथियों को अवकाश हो जाता है तो निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
7. समस्त कार्य उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग/उ0प्र0 जल निगम/RUSA (राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान)/भारतीय मानक ब्यूरों द्वारा प्रकाशित आई0एस0 कोड/उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेगें।
8. फर्म/निविदादाता द्वारा बिड में दिये गयें दस्तावेजों/प्रमाणपत्रों के गलत पाये जाने पर फर्म/निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा एवं निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात् होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रुप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा तथा वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है।
9. फर्म/निविदादाता का जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस हेतु सम्बन्धित विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा तथा उसके सभी देयकों से इनकम टैक्स एवं अन्य कोई कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी।
10. निविदादाता/फर्म की निविदा स्वीकृत होने की दशा में शासन के निर्देशों के अनुसार रायल्टी हेतु फार्म MM-11/साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही बिल का भुगतान अनुमन्य होगा अन्यथा नियमानुसार बिल से कटौती की जाएगी। शासनादेश संख्या–3385/86–2015–292/2015 दिनांक 15.10.2015 के अनुपालन में फर्म/निविदादाता नियमानुसार रायल्टी जमा नहीं करते है तो निर्धारित रायल्टी का पाँच गुना फर्म/निविदादाता के देयक से वसूली की जायेगी।
11. निविदादाता/फर्म के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रुप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्य एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो फर्म/निविदादाता का अनुबन्ध/ठेका निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।
12. शासनादेश संख्या–622/2372–2012–2आडिट/08टी0सी0–2 लोक निर्माण विभाग–12 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार बी0ओ0क्यू0 से Below दर देने पर फर्म/निविदादाता द्वारा अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी देय होगी। अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी की धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ0डी0आर0/सी0डी0आर0 जो कि सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, के पक्ष में बंधक हो, के रूप में निम्न विवरण के अनुसार देय होगी।
(क) 10 प्रतिशत Below दर तक प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर/0.50 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि।
(ख) 10 प्रतिशत से अधिक Below दर होने पर प्रति 1.00 प्रतिशत कम (Below) दर पर /1.00 प्रतिशत की दर से आगणित धनराशि।
13. शासनादेश संख्या 622/2372–2012–2आडिट/08टी0सी0–2 लोक निर्माण विभाग–12 दिनॉक 08.06.2012 के कम में मुख्य अभियंता (म0) के पत्र संख्या 4196/निविदा/2018 दिनॉक 14.09.2018 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप बिलो निविदा के मामले में वॉछित अतिरिक्त परफारमेन्स सिक्योरिटी वित्तीय बिड खुलने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर एल–1 निविदादाता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में फर्म/निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
14. निविदा स्वीकृति के पश्चात् नियमानुसार जमानत धनराशि जमा करने पर अनुबन्ध गठित करने की कार्यवाही की जायेगी।
15. निविदादाता/फर्म द्वारा दी गयी दरें जी0एस0टी0 के अतिरिक्त समस्त करों सहित मान्य होगी। सम्बन्धित फर्म/निविदादाता को मात्र जी0एस0टी0 का नियमानुसार अलग से भुगतान किया जायेगा।
16. निविदादाता/फर्म के देयकों से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती करते हुए कटौती की धनराशि सम्बन्धित विभाग में जमा किया जायेगा।
17. कार्य की मात्रा घट–बढ़ सकती है, जिसके लिए फर्म/निविदादाता का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। निविदा डालने से पूर्व फर्म/निविदादाता को चाहिए कि वे स्थल का निरीक्षण कर लें क्योंकि बाद में इस सम्बन्ध में कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
18. अधोहस्ताक्षरी/सक्षम अधिकारी को कोई भी अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार है।
19. जी0पी0डब्लू–9 अनुबन्ध का हिस्सा होगा।
20. निविदा की दर कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर कम (Below) माना जायेगा।
21. कार्य के डिफेक्ट लाइबिलिटी की अवधि शासनादेश के अनुरूप एक साल होगी।
22. किये गये कार्य की अनुरक्षण अवधि 02 वर्ष (डिपेक्ट लाइवेल्टी अवधि के अतिरिक्त) होगी।
23. विद्युतीकरण सम्बन्धी कार्य, विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत लाइसेन्स धारक व्यक्ति/फर्म से कराये जाने का शपथ पत्र/प्रमाण पत्र भी अपलोड करना होगा।
24. दीमक रोधी उपचार का कार्य अर्ह लाइसेन्स धारक व्यक्ति/फर्म से कराये जाने का शपथ पत्र निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करना होगा।
25. निर्माण कार्य में विलम्ब एवं उसकी गुणवत्ता में यदि कोई कमी/प्रतिकूल स्थिति परीलक्षित होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी फर्म/निविदादाता की होगी।
26. फर्म/निविदादाता द्वारा उ0प्र0 आवास एवं विकास परिशद द्वारा बतायी गयी प्राथमिकता के अनुरूप कार्यों का सम्पादन किया जाना होगा। तदानुसार फर्म को किये गये कार्य के सापेक्ष भुगतान किया जायेगा। प्राथमिकता से भिन्न किये गये कार्य का भुगतान तत्समय नही किया जायेगा।
27. निविदा में भाग लेने हेतु वे ही निविदादाता/फर्म प्रतिभाग करेगे जिनके पास इस प्रकार के कार्य का पर्याप्त अनुभव हो, इस सम्बन्ध में प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
28. अग्निशमन से सम्बन्धित कार्य हेतु अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (पूर्व एवं पश्चात्) भी प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
29. कोई भी निविदादाता/फर्म जो उ0प्र0 राज्य सरकार अथवा सम्पूर्ण भारत के किसी भी राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज न हो, वो ही निविदा प्रकिया में भाग ले सकता है तथा इस आशय का शपथ पत्र रू0 10.00 के नान ज्यूडिसियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किया जाना होगा।

30. आपूर्ति एवं संस्थापन के कार्यो हेतु उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निनिर्माण कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24(2) के अन्तर्गत प्रत्येक संविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अन्दर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य हो। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
31. सशर्त अथवा प्रतिबन्धित निविदा मान्य नहीं होगी।
32. फर्म को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित पत्रों का प्राप्त न होने का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
33. उ0प्र0 शासन/जिला प्रशासन से सम्बन्धित कोविड–19 के अन्तर्गत दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
34. किसी भी विवाद की दशा में जनपद–श्रावस्ती न्यायिक क्षेत्र होगा।

(पी0के सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता

पृ0सं0 882 **/ उक्त/** **दिनांक–** 24/05/2023
प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. मुख्य अभियन्ता(म0), उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/निदेशक, गोरखपुर/प्रयागराज/वाराणसी/लखनऊ/वृन्दावन/अवध विहार/कानपुर/ बुंदेलखण्ड/ मेरठ/मण्डोला/गाजियाबाद/रूहेलखण्ड/बरेली/आगरा वृत्त/विद्युत/ग्लोबल सेल/गुण नियंत्रण एवं परिकल्पना, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद्।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड अयोध्या–03, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गोण्डा को उनके पत्रांक 527/ए0सी0–2023/07 दिनांक 19.05.2023 के क्रम में।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
5. इंचार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. नोटिस बोर्ड।

24/5/23
अधीक्षण अभियन्ता